भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 332

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: तिलहनों और खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि

332. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री जय प्रकाशः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः

श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात से बचने के लिए तिलहनों और खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुल भूमि के दसवें भाग में भी तिलहनों की खेती/कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के बीच तिलहनों की कृषि/खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खाद्य तेलों के आयात की आवश्यकता न पड़े?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) जी, हां। सरकार तिलहन का उत्पादन एवं खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-तिलहन एवं ऑयल पाम कार्यान्वित कर रही है।

(ख) 29 राज्यों में एनएफएसएम-(तिलहन एवं ऑयल पाम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है एवं इसके तीन उप घटक हैं अर्थात् तिलहन, ऑयल पाम एवं वृक्ष जनित तिलहन (टीबीओ)। इसका मुख्य उद्देश्य तिलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना एवं ऑयल पाम एवं टीबीओ की खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करना है।

तिलहन का उत्पादन वर्ष 2008-09 में 27.72 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 32.26 मिलियन टन हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पादकता 1006 किग्रा/हे. से बढ़कर 1265 किग्रा/हे. हो गई।

देश में खाद्य तेल का उत्पादन वर्ष 2008-09 में 6.34 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10.44 मिलियन हो गया।

वर्ष 2018-19 तक ऑयल पाम के तहत 3.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ग) देश में कुल फसलित क्षेत्र के 12 प्रतिशत से अधिक भाग का उपयोग तिलहन की खेती के लिए किया जाता है।

(घ) आयात निर्भरता को कम करने के लिए एनएफएसएम (तिलहन एवं ऑयल पाम) के अलावा भारत सरकार वर्ष 2016-17 से छः पूर्वी राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल) को चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों में दलहन व तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रही है तथा वर्ष 2019-20 से दलहन व तिलहन के उत्पादन के तहत अतिरिक्त क्षेत्रफल को लाने के लिए छः और राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश) को शामिल किया गया है।

****